

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।


(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए दीवानी न्यायालय, गोरखपुर परिसर में स्थित फोटोकापी की दुकान संख्या-2,3 एवं 4 हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 01.11.2021 के अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी, परंतु किसी भी निविदादाता द्वारा उपस्थित होकर अपनी निविदा प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

उक्त के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए दीवानी न्यायालय, गोरखपुर परिसर में स्थित फोटोकापी की दुकान संख्या-2,3 एवं 4 हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 16.12.2021 के अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से दिनांक 15.12.2021 तक निर्धारित शुल्क मुव०-100/-रु. जमा कर प्राप्त की जा सकती है। नियत तिथि के उपरांत कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दिनांक 17.12.2021 को सायंकाल 04:30 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। सभी निविदादाताओं को धरोहर के रूप में मुव०-20,000/-रु. की धनराशि नगद अथवा चेक के माध्यम से निविदा के साथ केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा। संबंधित की निविदा स्वीकृत न होने की दशा में धरोहर धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस पर संबंधित को वापस कर दी जायेगी।

निविदा प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।


(सत्यानन्द उपाध्याय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 01
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर के अंतर्गत बाह्य न्यायालय, बांसगाँव में स्थित जीर्ण आवासीय भवन एवं इंद्राज भवन की नीलामी हेतु अधिकृत फर्मों से सीलबंद निविदा दिनांक 20.10.2021 के अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी, परंतु उक्त भवनों की नीलामी हेतु नियत तिथि तक किसी भी बोलीदाता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी नहीं हो सकी। उक्त के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर के अंतर्गत बाह्य न्यायालय, बांसगाँव में स्थित जीर्ण आवासीय भवन एवं इंद्राज भवन की नीलामी हेतु अधिकृत फर्मों से सीलबंद निविदा दिनांक 16.12.2021 के अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा नीलामी न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दिनांक 17.12.2021 को सायंकाल 04.00 बजे होना नियत की जाती है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नीलामी प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नीलामी में अधिक से अधिक निविदादाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाये।


(सत्यानन्द उपाध्याय)
अध्यक्ष नीलामी समिति / 10/12/21
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 01
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।